राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1311/2024

राजेश कुमार गढवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर (राज.)।
3. उप निदेशक, उद्यान, कृषि विभाग, सीकर।
4. सुभाष चंद्र महला, मुख्यालय मुख्यालय सीकर, उप निदेशक उद्यान, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.03.2024

आदेश की दिनांक : 26.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री सुमेर सिंह बड़सरा, अभिभाषक/केविएटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय सीकर उप निदेशक उद्यान, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्यालय नरोदडा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सीकर किया गया है। उनका

कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग कृषि पर्यवेक्षक का पद धारित करता है और उसे उच्च पद पर सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर वर्ष 2021 से निरंतर कार्यरत है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनुचित लाभ पहुंचान के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 27.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता/केविएटर ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय सीकर उप निदेशक उद्यान, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्यालय नरोदडा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सीकर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को उच्च पद पर पदस्थापित करते हुये समंजित किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी भी सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदस्थापित था। जबकि अपीलार्थी कृषि पर्यवेक्षक है और अपीलार्थी के स्थान पर ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदस्थापित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी वर्ष 2021 से एक ही स्थान पर पदस्थापित था और लगभग 3 वर्ष लम्बे समय अंतराल बाद जनहित में

प्रशासनिक आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के तर्कों में कोई बल नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य